FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

हरजिन्द्र सिंह बनाम इकबाल सिंह आदि

अन्तर्गत धारा 53,48,49,88,188,91,92ए, 63 आरटीए नम्बर 32 सन् 2020

तामिल हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
12.05.20	वादी हरजिन्द्र सिंह पुत्र हाकम सिंह जटसिख निवासी 24 ओ भुट्टीवाला तहसील श्री करणपुर की ओर से अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बराड़ ने वाद पत्र अंतर्गत धारा 53,48,49,88,188,91,92ए, 63 आरटीए पेश किया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 23/06/2020 को पेश हो। [signature]	
20/5/20	आज यह पत्रावली वादी हरजिन्द्र सिंह के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर पेशी में ली गई। प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण का आपस में राजीनामा हो चुका है। इसलिए वादी उक्त प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहता और उक्त प्रकरण को नोटप्रेस में दाखिल दफ्तर करवाना चाहता है। वादी की पहचान उनके अधिवक्ता के द्वारा की गई। वादी व वादी अधिवक्ता को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वादपत्र नोटप्रेस करने पर वादी का वादपत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम हो। [signature] ([illegible] मुणिया) उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर	[signature] Not Press [signature] 20/5/2020

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) [seal]

Scanned with CamScanner